श्रीमती दीपिका पांडे सिंह एवं केशव महतो कमलेश ने सिल्ली का भ्रमण कर कई कार्यक्रमों में भाग लिया

सिल्ली : कृषिमंत्री झारखंड सरकार श्रीमती दीपिका पांडे सिंह एवं अध्यक्ष झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी केशव महतो कमलेश ने मंगलवार को सिल्ली का भ्रमण कर कई कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने सिल्ली प्रखंड कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित स्वागत अभिनन्दन सह मिलन समारोह में भाग लेकर कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकताओं को संबोधित

किया। इसके पूर्व कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए लोगों को माला पहनाकर स्वागत किया। मौके पर रांची जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश किरण महतो, दिनेश प्रसाद साहू , नगेन्द्र नाथ गोस्वामी , प्रखंड के कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी गण एवं अल्पाधिक संख्या में कार्यकर्ता गण शामिल थे । कृषिमंत्री ने सिल्ली का प्रोजनी बाग का निरीक्षण किया ? । उन्होंने कृषि विभाग के कर्मचारियों से बातचीत कर आवश्यक जानकारियां प्राप्त की। साथ ही साथ उन्होंने कई सुझाव एवं दिशा निर्देश दिए । मौके पर केशव महतो कमलेश भी थे । इसके बाद कारियाडीह में ग्रामीणों के साथ संवाद कार्यक्रम में तथा शहीद रघुनाथ महतो इन्टर महाविद्यालय पतराहातु में कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह एवं अध्यक्ष झारखंड प्रदेश केशव महतो कमलेश का ढोल नगाड़े बजाकर भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने पतराहातु स्थित श्री लक्ष्मी विष्णु पद मंदिर का दर्शन कर आशीर्वाद लिया। फिर रांची के लिए प्रस्थान किया।

झारखंड आंचलिक पत्रकार संघ की एक दिवसीय सम्मेलन 28 को अड़की में

रातू : झारखंड आंचलिक पत्रकार संघ का एक दिवसीय सम्मेलन 28 सितंबर को अड़की के सोसोकुटी डैम पर रखा गया है। इस बात की जानकारी देते हुए संघ के अध्यक्ष दिलीप ठाकुर ने कहा कि सम्मेलन में संघ की मजबूती की चर्चा के साथ साथ कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। सभी सदस्यों का भी आए प्रस्तावो पर चर्चा की जाएगी। संघ के इस सम्मेलन में मुख्य रूप से ग्रामीण पत्रकारों पर आए दिन हमले के साथ साथ पीड़ित पत्रकार के परिजनों को किस तरह संघ की ओर से आर्थिक सहयोग दी जाए। इन सभी पर विशेष चर्चा होगी। इस सम्मेलन पत्रकार सपरिवार शामिल हो सकते हैं।

22 हाथियों का झुंडा बुढ़मू क्षेत्र के जंगलों में पहुंचे

बुढ़मू : बुधवार शाम में 22 हाथियों का झुंडा चान्हों क्षेत्र से होते हुए बुढ़मू क्षेत्र के जंगलों में पहुंच गया। गुरूवार को दिन में साड़म और चांया मुरगी के जंगल में हाथी मौजूद थे वहीं शाम होते होते सभी कोटारी जंगल पहुंच गये। हाथी भगाओ दल के सदस्यों ने बताया कि हाथी अपने मुख्य मार्ग से भटक गये है शाम होने के बाद हाथियों के झुंड को पतरातु जंगल की ओर ले जाया जाएगा और वे वहां से होते हुए चाईबासा के घने जंगलों की ओर चले जाएंगे।जंगलों में अतिक्रमण और लगातार हाथियों के विश्राम में व्यवधान उत्पन्न होने से हाथी उग्र होकर नुकसान पहुंचाते हैं।हालांकि बुढ़मू क्षेत्र में प्रवेश के बाद हाथियों का दल कोटारी जंगल में आराम कर रहे हैं।

प्राथमिक विद्यालय इड़कू में ताला तोड कर किया गया चोरी

सोनाहातू : थाना क्षेत्र के जामुदाग पंचायत अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय इड़कू में बुधवार की रात चार चक्का लेकर आए चोरों ने ताला तोड़कर स्कूल में घुसे और चावल, वर्तन गैस सिलेंडर चूल्हा मिड डे मील के समान ले उड़े। प्राथमिक विद्यालय में अज्ञात चोरों द्वारा छोटे-छोटे बच्चों की खाने-पीने की सामग्री मिडडे मील जैसे गैस सिलेंडर बर्तन आदि का चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया सूचना मिलते ही सोनाहातु प्रशासन घटनास्थल पर पहुंची।सोनाहातु पुलिस जांच में जुट गई है ।इधर ग्रामीणों का कहना है कि पिछले तीन-चार साल से लगातार इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि विद्या के मंदिर जैसे जगह को कुछ लोगों के द्वारा अड्डा बना दिया गया है ।शाम होते ही नशेड़ियों का जमावड़ा लग जाता है ।इधर सोनाहातु प्रशासन बताया कि जांच चल रही है जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। 03

वर्ल्ड फूड इंडिया एक्सपो 2024 में झारखण्ड के किसान होंगे शामिल

बुढ़मू : झारखंड में चल रहे परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत प्रगतिशील किसानों को दिल्ली में चल रहे तीन दिवसीय वर्ल्ड फूड इंडिया एक्सपो 2024 के आयोजन में बुधवार को भेजे गए है। झारखण्ड से ओफाज के अंतर्गत सेवा प्रदाता फ्यूचर फूड्स , वैदिक ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, के. एन. बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड, एलटीजी मैसूर ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड और इको गारंटी डिवीजन ऑफ इनकॉन के द्वारा ले जाया गया। वहां किसानों को जैविक उत्पाद से सबंधित नई नई तकनीकों की जानकारी मिलेगी। जिसमे आगे चलकर जैविक उत्पाद निर्यात में मदद मिलेगी। विश्व खाद्य दिवस 2024 में झारखंड के जैविक खाद्य का ब्रांड प्रदर्शनी ओफाज के स्टॉल पर किया जाएगा। झारखण्ड में परम्परागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत खेती की जा रही जैविक उत्पादों का ब्रांड ₹जैविक झारखण्ड ₹की प्रदर्शनी भी ओफाज के स्टॉल पर किया जाएगा। भेजे गए किसनो मे मतिउर रहमान बिपत्तारा महतो संतोष उरांव कैलाश कुमार भीम महतो समेत अन्य सात किसान शामिल है। उक्त जानकारी संस्था के प्रबंधक अमन कुमार ने दी है।

नवाह्न पारायण महायज्ञ समिति की एक बैठक दुर्गा मंदिर में

पिस्का नगडी : प्रखंड के नगडी दुर्गा पूजा सह श्री राम चरित मानस नवाह्न पारायण महायज्ञ समिति की एक बैठक दुर्गा मंदिर में समिति के अध्यक्ष राहुल चौधरी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में महायज्ञ के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में बतलाया गया कि पंडाल, विद्युत, सजावट से संबंधित सभी व्यवस्था पर बातें हो गई है और उनके लिए अग्रिम भुगतान भी कर दिया गया है। चंदा के संबंध में चर्चा होने के पश्चात चंदा समिति का गठन किया गया। बताया गया कि श्री राम चरित मानस नवाह्न पारायण महायज्ञ का इस वर्ष 59 (उनसठवां) अधिवेशन है। इस वर्ष प्रवचन के लिए वृंदावन के प्रकांड विदुषी साध्वी प्रभु प्रिया पधार रहीं हैं, मानस पाठ कराने के लिए जानकीघाट (अयोध्या) से मुनीराज शास्त्री आ रहे हैं जबकि दुर्गा पाठ एं उमाशंकर पाठक के द्वारा किया जायेगा, मुख्य पुजारी पं पंकज पांडेय सारे अनुष्ठान करायेंगे। बैठक में समिति के पदधारी और ग्रामीण उपस्थित थे।

रामगढ़ जिला के सर्किट हाउस में बैठक

पिस्का नगडी : रामगढ़ जिला के सर्किट हाउस के सभागार में गुरुवार को झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष प्रसाद की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें जिला के विभिन्न समस्याओं के शिकायत, जो आयोग में दिया गया था, उसके निष्पादन हेतु जिले के संबंधित सभी विभाग के पदाधिकारी गण उपस्थित हुए। बिंदुवार रूप से हर समस्या का सुनवाई की गई जिसमें विशेष रूप से जमीन से संबंधित, जिसमें दोहरी जमाबंदी एवं सीसीएल तथा अन्य विभाग द्वारा अधिकृत भूमि की भू अर्जन विभाग द्वारा भुगतान में अनियमता तथा मत्स्य विभाग, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, कल्याण विभाग, निजी विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार के तहत नामांकन, श्रम विभाग में न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने पर शिकायतों का निष्पादन हेतु समीक्षा की गई बैठक में आयोग के वरिष्ठ सदस्य नंदकिशोर मेहता, सदस्य लक्ष्मण यादव, सदस्य सचिव केके सिंह, उपयुक्त चंदन कुमार, उप विकास आयुक्त रोबिन टोप्पो, अपर समाहर्ता कुमारी गीतांजलि. डीएसओ रंजीत टोप्पो, डीटीओ मनीषा वेक , डीपीआरओ मनीषा कुमारी सिंह, एलआरडीसी दीप्ति प्रियंका कुजूर, डीओ नीलम, जिला के सभी अंचल अधिकारी संबंधित विभाग के जिला के सभी पदाधिकारी सम्मिलित हुए।

आदिवासी कुर्मी समाज के द्वारा हुआ करम मिलन दिखी नागपुरी सांस्कृतिक की झलक

अनगड़ा : आदिवासी कुर्मी समाज के द्वारा गुरुवार की शाम गोन्दली पोखर चौक में आदिवासी कुर्मी करम मिलन समारोह का आयोजन अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए किया गया । समारोह का उदघाटन पूर्व विधायक रामकुमार पहान पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष जैलेन्द्र कुमार आयोजन समिति के अध्यक्ष सतीश महतो डॉ रिझू नायक शिवलाल महतो सूरज नरायण महतो बिश्राम महतो सुप्रेस महतो सखीचन्द महतो राजेश महतो मार्शल महतो इत्यादि ने दीप प्रज्वलित कर एंव फीता काटकर संयुक्त रूप से किया । समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व

सांसद रामटहल चौधरी विधायक राजेश कच्छप उपस्थित थे। इन्होंने कहा कि छोटा नागपूर की सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखने के लिए इस तरह का आयोजन बहुत जरूरी है। नाचना गाना है नाचने गाने से शरमाना नहीं क्योंकि यही झारखंड की पहचान है। इस मिलन समारोह में करम की डाली के समक्ष महिलाओं युवतियों एवं किशोरियों के द्वारा पारम्परिक रूप से नांच गान कर रिझ रंग किया गया। साथ हीं रंगारंग नागपूरी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए समारोह में कुर्मी समाज के मानीय लोगों एवं अन्य को अंग वस्त्र ओढ़ा कर सम्मानित किया गया समारोह में मुख्य रूप से जिप सदस्य अनुराधा मुन्डा मुखिया सरीता तिर्की मार्शल महतो रामपोदो महतो सुनील महतो हिमालय चौधरी झबूलाल महतो गबेश्वर महतो जगरनाथ महतो कारीनाथ महतो महेन्द्र महतो।

झारखण्ड सरकार झारखण्ड खेल प्राधिकरण
(पर्यटन, कला–संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग)
गेट सं0–29, बिरसा मुण्डा फुटबॉल स्टेडियम, मोरावादी, रॉची–834008
Email : - sajha9@gmail.com, Website :- www.sajha.in

आ०सू०सं० : 169 दिनांक : 19/09/2024

आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि झारखण्ड खेल प्राधिकरण द्वारा Sports fellow-cum-Junior Consultant के पद पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति, जिसका PR No. - 334121, दिनांक – 29.08.2024 प्रकाशित किया गया था, जिसके विरूद्ध प्राप्त कुल 12 (बारह) आवेदनों की स्क्रूटनी, झारखण्ड खेल प्राधिकरण के प्राधिकृत स्क्रूटनी समिति द्वारा कर ली है। समिति द्वारा अनुशंसित योग्य एवं अयोग्य उम्मीदवारों की सूची झारखण्ड खेल प्राधिकरण के वेबसाईट www.sajha.in के Notice भाग पर देखा जा सकता है।

योग्य उम्मीदवारों को साक्षात्कार की तिथि उनके ई–मेल/मो. नं. अथवा वेबसाईट के माध्यम से सूचित करा दी जाएगी।

ह०/–
कार्यकारी निदेशक
झारखण्ड खेल प्राधिकरण।

PR 336204 Art Culture Sports and Youth Affairs(24-25)D

जिला अभियंता का कार्यालय, जिला परिषद, खूँटी

अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

संख्या – 14/2024–25

1. विज्ञापन दाता का नाम : जिला अभियंता, जिला परिषद, खूँटी।
2. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि : दिनांक 26.09.2024 को (अपराहन 01:00 बजे तक)
3. निविदा प्राप्त करने की तिथि : दिनांक 27.09.2024 को (अपराहन 03:00 बजे तक)
4. निविदा खोलने की तिथि : दिनांक 28.09.2024 को 04:00 बजे अपराहन तक
5. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान : जिला अभियंता, जिला परिषद, खूँटी का कार्यालय।
6. निविदा प्राप्त करने एवं खोलने का स्थान : जिला अभियंता, जिला परिषद, खूँटी का कार्यालय
7. कार्यो का विस्तृत विवरणी :

क्र.	प्रखण्ड	कार्य का नाम	प्रा० राशि	अग्रधन की राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	कार्य समाप्ति की अवधि
1	तोरपा	राजकीय मध्य विद्यालय, पकना में 02 अदद अतिरिक्त क्लास रूम (Pre Fab) का निर्माण कार्य।	2451600.00	49100.00	5000.00	03 माह
2	खूँटी	राजकीय मध्य विद्यालय, पुटी में 02 अदद अतिरिक्त क्लास रूम (Pre Fab) का निर्माण कार्य।	2451600.00	49100.00	5000.00	03 माह
3	खूँटी	राजकीय मध्य विद्यालय, हिंतुटोला में 02 अदद अतिरिक्त क्लास रूम (Pre Fab) का निर्माण कार्य।	2451600.00	49100.00	5000.00	03 माह
4	मुरहू	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, कुदा में 02 अदद अतिरिक्त क्लास रूम (Pre Fab) का निर्माण कार्य।	2451600.00	49100.00	5000.00	03 माह

नोट : 1. विस्तृत निविदा सूचना एवं शर्तें कार्यालय सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।
2. जिला परिषद, खूँटी/ग्रामीण विकास विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के समुचित श्रेणी का निबंधन ही मान्य होगा।
3. जिला परिषद, खूँटी अन्तर्गत वैसे संवेदक जिनका कार्य ससमय पूर्ण नहीं हुआ है। वे इस निविदा में भाग लेने हेतु अयोग्य समझें जायेंगे।
4. Pre-Fabricated कार्य किये गये आवेदक के ही आवेदन पर विचार किया जायेगा।
5. परिमाण विपत्र की शर्ते घट–बढ़ सकती है। तदनुसार अग्रधन की राशि देय होगी।

जिला अभियंता,
जिला परिषद, खूँटी

PR 336182 District (24-25)_D

उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़
(खनन शाखा)

सूचना

राजसात वाद सं0 68/2023 में पारित आदेश के आलोक में जिला खनन कार्यालय, रामगढ़ परिसर में झारखण्ड 8500 घन फीट पत्थर चिप्स खनिज के आम नीलामी हेतु सूचना।

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation & Storage) Rules, 2017 के नियम 11 (v) के तहत दायर राजसात वाद सं0 68/2023 में पारित आदेश के अनुपालन में जिला खनन कार्यालय, रामगढ़ परिसर में जब्त भण्डारित 8500 घन फीट पत्थर की आम नीलामी दिनांक 28.09.2024 को समय 11.00 बजे पूर्वाहन में अपर समाहर्ता, रामगढ़ की अध्यक्षता में जिला समाहरणालय के सभागार कक्ष में सम्पन्न की जायेगी। भण्डारण का विवरण, लोक नीलामी की प्रक्रिया एवं शर्त्त निम्नवत है–

क्र0	भण्डारण स्थल	भण्डारित पत्थर चिप्स की मात्रा	सुरक्षित जमा राशि	सुरक्षित जमा राशि का 10% प्रतिभूति राशि
1	जिला खनन कार्यालय, रामगढ़ परिसर	लगभग 8500 cft	₹ 35.25 x 8500 cft = ₹ 2,99,625.00	₹ 29963.00

2. नीलामी में भाग लेनेवाले व्यक्ति/संस्था भारत के नागरिक होंगे तथा उनके पक्ष में रामगढ़ जिलान्तर्गत कोई निर्माण/ विकास कार्य आवंटित/रामगढ़ जिलान्तर्गत खनिज अनुज्ञप्तिधारी हो।
3. नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति/संस्था को निर्धारित सुरक्षित जमा राशि का 10% प्रतिभूति राशि के रूप में नीलामी में भाग लेने के लिये नीलामी की तिथि से एक दिन पूर्व कार्यालय अवधि में जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ के पदनाम से रेखांकित बैंक ड्राफ्ट एवं अन्य आवश्यक कागजात के साथ जमा करना होगा, अन्यथा व्यक्ति/संस्था को डाक में भाग लेने से वंचित कर दिया जायेगा। सफल डाकवक्ता (अधिकतम राशि) की प्रतिभूति रकम को छोड़कर अन्य डाकवक्ता द्वारा जमा प्रतिभूति राशि का बैंक ड्राफ्ट नियमानुसार वापस कर दिया जायेगा।
4. नीलामी के उपरांत उच्चतम डाक की राशि के भुगतान के साथ–साथ आयकर के मद में उच्चतम डाक की राशि का 2% राशि नियमानुसार देय होगा।
5. नीलामी में बोली गयी उच्चतम डाक की राशि का 10% में से प्रतिभूति राशि को छोड़कर शेष राशि डाक की समाप्ति पर बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/ऑनलाईन के माध्यम से उच्चतम डाकवक्ता द्वारा जमा करना होगा, अन्यथा उच्चतम डाकवक्ता को भविष्य में नीलामी में भाग लेने से वंचित कर दिया जायेगा।
6. उच्चतम डाक की पूर्ण राशि नीलामी की तिथि से 07 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय अवधि में ही भुगतान करना होगा। पूर्ण राशि के भुगतान में असफल रहने की स्थिति में दूसरे नम्बर के डाकवक्ता को उच्चतम डाक की राशि पर सहमति हेतु प्रस्ताव दिया जायेगा एवं उनके समर्थन या स्वीकार होने की स्थिति में यह नीलामी उनके पक्ष में घोषित किया जायेगा
7. उक्त खनिज की नीलामी सम्पन्न होने के उपरान्त नीलामी की राशि पूर्ण रूप से जमा किये जाने के उपरान्त खनिज का निष्पादन/प्रेषण हेतु JIMMS Portal द्वारा अस्थायी आई०डी० सृजित किया जायेगा।
8. उक्त खनिज का उठाव/प्रेषण JIMMS Portal द्वारा सर्वमान्य पदों से निर्गत परिवहन चालान के माध्यम से आदेश निर्गत होने की तिथि से तीन माह के अन्दर अनिवार्य रूप से कर लेना होगा। विशेष परिस्थिति में कारणों सहित लिखित आवेदन पर समीक्षोपरांत अवधि विस्तार पर निर्णय लिया जायेगा।
9. खनिज के प्रेषण के क्रम में यदि रैयती भूमि का उपयोग किया जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति का भुगतान नीलामीधारी द्वारा ही किया जायेगा।
10. अन्य शर्त एवं बंधेज झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 (सभी संशोधनों सहित) एवं The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation & Storage) Rules, 2017 के प्रावधानों के अनुसार होगा।

नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/संस्था दिनांक 20.09.2024 समय 11.00 बजे पूर्वाहन से दिनांक 27.09.2024 समय 05.00 बजे अपराहन तक जिला खनन कार्यालय, रामगढ़ में आवेदन दाखिल कर सकते हैं। आवेदन के साथ निम्नांकित वांछित कागजात स्व अभिप्रमाणित कर संलग्न करना होगा।
(i) सुरक्षित जमा का 10% राशि निर्धारित प्रतिभूति रकम के रूप में जिला खनन पदाधिकारी के नाम से बैंक ड्राफ्ट।
(ii) पैन कार्ड की छायाप्रति एवं अद्यतन आयकर रिटर्न की छायाप्रति।
(iii) आधार कार्ड की छायाप्रति।
(iv) GST निबंधित प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
(v) आवंटित कार्य के कार्यादेश की छायाप्रति/डीलर्स निबंधन की प्रति।
(vi) पासपोर्ट साईज फोटो की दो प्रति।
(vii) आवेदन के साथ इस आशय का शपथ पत्र जमा करना होगा कि खनन विभाग से संबंधित भुगतान बकाया/लंबित नहीं हो एवं किसी विभाग द्वारा उनका नाम/संस्था का नाम काली सूची में दर्ज न हो।

नोटः– विशेष जानकारी के लिये जिला खनन कार्यालय, रामगढ़ में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।

ह0/–
अपर समाहर्ता रामगढ़।

PR.NO.336109 Mines and Geology(24-25):D

अलग-अलग हादसों में चार लोगों की हुई मौत

अनगड़ा : थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों में गुरुवार को हुई हादसों में चार लोगों की मौत हो गई । पहली घटना बुधवार की देर रात थाना क्षेत्र के पहाड़ सिंह में घटी जहां शिवानी कुमारी पिता विनोद बिरहोर नामक 15 वर्षीय एक किशोरी ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली अत्महत्या के कारणों का पता नहीं चला है। दूसरी घटना गंगाघाट रेलवे स्टेशन के पास घटी जहां एक करीब 40 वर्षीय अज्ञात महिला की ट्रेन से कटकर मौत हो गई महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है । तीसरी घटना उस समय घटी जब एक मानसिक रोगी जितेन्द्र पासवान उम्र 42 वर्ष को उनके परिजन नालंदा विहार से ट्रेन में इलाज के लिए रांची ला रहे थे इसी बीच वह थाना क्षेत्र के घोड़लतवा के पास ट्रेन से कूद गया जिससे ट्रेन से कटकर उसकी मौत हो गई वहीं चौथी घटना हेसल खीरा टोली गांव में घटी जहां सबीना केशरिया 51 वर्ष पति गोपी चन्द्र केशरिया की अपने घर में बिजली के तार के चपेट में आने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, चतरा
(जिला स्थापना शाखा)

-: प्रेस विज्ञप्ति :-

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि चतरा जिला अन्तर्गत चौकीदार के रिक्त पद पर सीधी भर्ती हेतु निर्गत विज्ञापन संख्या–01/2026 के आलोक में प्राप्त आवेदनों के प्रथम स्तर के स्क्रूटनी के क्रम में पाये गये स्वीकृत एवं अस्वीकृत आवेदनों की सूची चतरा जिला के विभागीय वेबसाईट www.chatra.nic.in पर प्रकाशित कर दिया गया है। सूची के संदर्भ में आवेदक अपना दावा आपत्ति आवेदन दिनांक 21.09.2024 तक कार्यालय अवधि (10:00 बजे पूर्वाहन् से 05:00 बजे अपराहन तक) में समाहरणालय, चतरा अंतर्गत जिला स्थापना शाखा में समर्पित कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायगा। आपत्ति आवेदन में संबंधित अंचल का नाम एवं सूची का क्रम संख्या अंकित करना अनिवार्य है।
आवेदक बीट/बीट के साथ संलग्न ग्राम की जानकारी संबंधित अंचल/थाना से प्राप्त कर सकेंगे।

उपायुक्त, चतरा।

PR.NO.335979 District(24-25):D

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
एन0आर0ई0पी0, चतरा

ई-पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना

पुनर्निविदा सूचना संख्या– Ref No: EE/NREP/CHATRA/22/2024-25-RE-1 दिनांक– 18.09.2024

1. **मद का नाम :** DMFT योजना अन्तर्गत :–

क्र. सं.	ग्रुप संख्या	प्रखंड	पंचायत	ग्राम	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रधन की राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
01	16	हण्टरगंज	केदलीकला	गोखना	आंगनबाड़ी केन्द्र की मरम्मती कार्य	540500	10900	1250	3 माह
02	17	हण्टरगंज	केदलीकला	नावाडीह	आंगनबाड़ी केन्द्र की मरम्मती कार्य	546800	11000	1250	3 माह
03	21	हण्टरगंज	उरैली	धरधरा (कोलेश्वरी सुलतानाटांड)	आंगनबाड़ी केन्द्र की मरम्मती कार्य	534300	10700	1250	3 माह

2. **वेबसाइट में ई– पुनर्निविदा प्रकाशन की तिथि – 23.09.2024**
3. **ई–पुनर्निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय – 30.09.2024 के अपराहन 5:00 बजे तक**
4. **ई–पुनर्निविदा खोलने की तिथि एवं समय :– 04.10.2024 पूर्वाहन 3.30 बजे।**
5. ई–**पुनर्निविदा** आमंत्रित करनेवाले पदाधिकारी का नाम एवं पता :– **कार्यपालक अभियंता एन.आर.ई.पी. चतरा।**
6. ई–**पुनर्निविदा** प्रकोष्ठ का दूरभाष सं.– **9572666229,** (संबंधित कनीय अभियंता का दूरभाष नम्बर)
9. विस्तृत जानकारी के लिये बेवसाईट www.jharkhandtenders.gov.in देखा जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता,
एन.आर.ई.पी., चतरा

PR 335981 NREP (24-25)_D

TATA

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत पताः 11वीं मंजिल, टावर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400013.
शाखा का पताः टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, पहली मंजिल । गायत्री एन्क्लेव । के - रोड बिरसूपुर जमशेदपुर झारखंड-831001

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु सूचना

(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित नियम 8(6) के तहत) वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी सूचना, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) और नियम 9(1) के साथ पठित है। इसके द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से नीचे दिए गए उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता, या विशेष रूप से उनके कानूनी उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों (उधारकर्ताओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (टीसीएचएफएल) को गिरवी रखी गई है जिसका कब्जा टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, जो 07-10-2024 को "जैसा है जहां है" और "जैसा है जो है " और "जो कुछ भी है" की तर्ज पर बिना किसी सहारा आधार के बेचा जाएगा। नीचे उल्लिखित उधारकर्ता और सह-उधारकर्ताओं से बकाया राशि की वसूली। आरक्षित मूल्य और बयाना राशि जमा का उल्लेख नीचे किया गया है कि, बिक्री के किसी भी स्थगन/बंद होने की स्थिति में, उक्त सुरक्षित संपत्ति/संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। दोपहर 2.00 बजे ई-नीलामी द्वारा बेचा जाएगा। दिनांक 07-10-2024 को ई-नीलामी द्वारा बेचे जाने से पहले ई़मदी के डिमांड ड्राफ्ट वाला सीलबंद लिफाफा टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी को 05-10-2024 को शाम 5.00 बजे तक शाखा के पते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, पहली मंजिल । गायत्री एन्क्लेव । के-रोड बिरसूपुर । जमशेदपुर। झारखण्ड-831001.
सुरक्षित संपत्ति/अचल संपत्ति की बिक्री नीचे वर्णित संक्षिप्त विवरण के अनुसार "जहां है जैसी है" के आधार पर होगी:

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या और ताररीख	उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ता(ओं)/कानूनी प्रतिनिधि/गारंटर(ओं)	डिमांड नोटिस के अनुसार राशि	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि	कब्जे के प्रकार
1.	**10486928**	श्री अरुण कुमार विश्वा नीचली टोलिया पिंडरा ओमप्रकाश	रु. 44,37,335/- (चालीस लाख तैंतीस हजार तीन सौ पैंतीस रुपये मात्र) 15-02-2023	रु. 39,40,000/- (पैंतीस लाख चालीस हजार रुपये मात्र)	रु. 3,94,000/- (तीन लाख चौरान हजार रुपये मात्र)	भौतिक

अचल संपत्ति का विवरण: अचल संपत्ति के सभी टुकड़े और पार्सल, एक फ्लैट नंबर- ए -3, तीसरी मंजिल पर, 1427 वर्ग फीट के क्षेत्र को मापने वाला सुपर बिल्ट अप क्षेत्र) या अधिक रांची नगर निगम के पुराने वार्ड नंबर-7, नए वार्ड नंबर-19 के नगर निगम होल्डिंग नंबर-1447/ए-1 के निर्माणाधीन "बासुकीनाथ भवन" की भूमि के अविभाजित आनुपातिक हिस्से सहित भूतल में एक कार पार्किंग की जगह कम है। , नगरपालिका सर्वेक्षण प्लॉट संख्या-2211 पर स्थित, ग्राम कोनका, मुख्यद्वार थरपखना, उथव बाबू स्ट्रीट, रांची, पुलिस स्टेशन-लालपुर, थाना-198, जिला रांची, राज्य झारखंड

नीलामी में, आम तौर पर जनता को व्यक्तिगत रूप से अपनी बोली जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर अतिरिक्त ब्याज के साथ कुल बकाया का भुगतान करने का अवसर दिया जाता है, अन्यथा अचल संपत्ति अनुसूची के अनुसार बेची जाएगी। ई-नीलामी रोक दी जाएगी यदि उगराेह देय राशि, ब्याज और लागत (बिक्री की लागत सहित) के साथ प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत की जाती है या उसकी संतुष्टि के लिए समृद्ध दिया जाता है कि ऐसे सुरक्षित ऋण, ब्याज और लागत की राशि है नीलामी की तारीख से पहले भुगतान किया गया।
हालांकि, कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जिसका इस बिक्री के संबंध में कोई कर्तव्य है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बेची गई अचल संपत्ति में किसी भी हित के लिए बोली नहीं लगाएगा, अधिग्रहण नहीं करेगा या प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा।
किसी सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 में निर्धारित शर्तों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:
ध्यान दें: संपत्तियों की ई-नीलामी पोर्टल http://bankauctions.in/ के माध्यम से 07-10-2024 को दोपहर 2.00 बजे से 3.00 बजे के बीच 5 मिनट के सीमित विस्तार के साथ होगी।
नियम और शर्तें: 1. बोली दी गई धनराशि को ई-नीलामी के प्रस्तावों की स्वीकृति जानकारी के अनुसार बताए गए हैं, लेकिन अभ्यर्थितकर्ता इस उद्देश्यों में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। बोली की राशि या बोली लगाने वाले के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में, अचल संपत्ति को प्राधिकृत अधिकारी के विवेक के अधीन एक बार फिर से नीलामी के लिए रखा जाएगा। 2. अचल संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी। 3. बोली वृद्धि राशि होगी: रु. 10,000/- (केवल दस हजार रुपये)। 4. संपत्ति की खरीद के लिए प्रस्तुत सभी बोलियों के साथ ऊपर बताए अनुसार बयाना राशि "टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में संलग्न की जानी होगी। शाखा के पते पर देय। नीलामी के बाद असफल बोलीदाताओं को डिमांड ड्राफ्ट वापस कर दिए जाएंगे। एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के माध्यम से ईएमडी के भुगतान के लिए कृपया प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें। 5. उच्चतम बोली लगाने वाले को सफल बोली लगाने वाला घोषित किया जाएगा, बशर्ते कि वह बोली लगाने के लिए कानूनी रूप से योग्य हो और शर्त यह